मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल दिनांक

क्रमांक- एफ 3-25/2013/12/2 :- मेसर्स मॉयल लिमिटेड द्वारा बालाघाट जिले के ग्राम भरवेली एवं आवंलाझरी के रकबा 76.44 हेक्टेयर क्षेत्र पर मैंगनीज खनिज के खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर बालाघाट द्वारा पत्र दिनांक 17.12.2012 से यह अवगत कराया गया कि, ग्राम भरवेली का 51.774 हेक्टेयर एवं ग्राम आवंलाझरी का रकबा 25.287 हेक्टेयर क्षेत्र. कुल क्षेत्र 77.061 हेक्टेयर क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध है। संचालनालय द्वारा क्षेत्र उपलब्धता के संबंध में परीक्षण किया गया है। परीक्षण उपरांत यह प्रतिवेदित किया गया कि, ग्राम भरवेली का रकबा 51.122 हेक्टेयर तथा ग्राम आवंलाझरी का रकबा 25.287 हेक्टेयर, कुल रकबा 76.409 हेक्टेयर क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होता है। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 20.12.1961 से यह क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र है। आवेदित क्षेत्र में मैंगनीज खनिज की उपलब्धता नियत मापदण्डों के अनुरूप होने के कारण राज्य शासन द्वारा खनिपट्टा स्वीकृति के लिए धारा 10ए (2)(सी) के परन्तुक के प्रावधान के तहत पूर्व अनुमोदन के लिए भारत सरकार को समसंख्यक पत्र दिनांक 05.06.2015 से प्रस्ताव प्रेषित किया गया। भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 14.08.2015 से यह अवगत कराया गया कि, खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 अनुसार धारा 5(1) एवं धारा 17ए को संशोधित किया गया है जिसके अनुसार आरक्षित क्षेत्रों में प्रथम अनुसूची के भाग सी के खनिज हेतु भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक नही है।

राज्य शासन द्वारा आवेदक कंपनी को समसंख्यक पत्र दिनांक 24.09.2015 से अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत किये जाने का लेख किया गया है। आवेदक कंपनी द्वारा पत्र दिनांक 11.03.2016 से अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत की गई।

राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत निम्न शर्तो के अधीन खनिपट्टा स्वीकृत किया जाता है :-

1	आवेदक का नाम –	मॉयल लिमिटेड
2	खनिज का नाम –	मैंगनीज।
3	स्वीकृत किये गये क्षेत्र का विवरण –	जिला बालाघाट – ग्राम भरवेली – रकबा 51.122 हेक्टेयर, ग्राम आवंलाझरी – रकबा 25.287 हेक्टेयर, कुल रकबा 76.409 हेक्टेयर। (संलग्न मानचित्र अनुसार)
4 .	स्वीकृत की गई अवधि –	50 वर्ष। (खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम 2015 के नियम 4(1) के तहत)

5. आवेदक अनुमानित संसाधनों के मूल्य के 0.50 प्रतिशत के बराबर राशि की खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन उर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 की अनुसूची 04 में विर्निदिष्ट रूप विधान में बैंक प्रत्याभूति के रूप में अथवा प्रतिभूति निक्षेप के रूप में कार्यपालन प्रतिभूति कलेक्टर के पक्ष में उपलब्ध करायेगा। इस कार्यपालन प्रतिभूति खान विकास और उत्पादन करार में निहित शर्तो और खनन पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उपयोग किया जा सकेगा। कार्यपालन प्रतिभूति को प्रत्येक 05 वर्ष में समायोजित किया जायेगा, जिससे कि यह अनुमानित संसाधनों के पुनः निर्धारित मूल्य के 0.50 प्रतिशत के सदृश बनी रहे।

6. खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड ख में विर्निदिष्ट खनन योजना के संबंध में शर्तो को पूरा करेगा।

7. उपरोक्त शर्त की पूर्ति उपरांत आवेदक को केन्द्रीय सरकार द्वारा विर्निदिष्ट रूप विधान में खान विकास और उत्पादन करार किया जाना होगा।

8. आवेदक खनन संक्रियाए प्रारंभ किये जाने हेतु लागू विधियों के अधीन सभी सम्मति, अनुमोदन, अनुज्ञा पत्र, निक्षेप पत्र, अभिप्राप्त करेगा।

9. उपरोक्तानुसार विर्निदिष्ट शर्तो के पूरा होने के 90 दिन के भीतर आवेदक को खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन उर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 की अनुसूची 7 में विर्निदिष्ट रूप विधान में खनिपट्टा निष्पादित

किया जाना होगा। यदि आवेदक की ओर से किसी चूक के कारण उक्त अवधि के भीतर ऐसी कोई विलेख निष्पादित नही की जाती है तो राज्य सरकार पट्टा अनुदत्त करने के आदेश को वापस ले सकेगी एवं जमा फीस राज्य सरकार को समपहृयत हो जायेगी।

10. खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम 2015 के नियम 5 के अंतर्गत देय राशि का भुगतान किया जाना होगा।

11. अनुबंध निष्पादन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि, आवेदक के ऊपर खनिज राजस्व बकाया तो नही है।

12. यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि, आवेदक के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रभावित तो नही है।

13. यदि प्रश्नाधीन क्षेत्र प्रदेश के पांचवी अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो यह प्रस्ताव संबंधित केन्द्रीय विधान/राज्य के विधि/नियम/नियमन, न्यायालयीन निर्णय आदि (Central Legislation / State Law / Rules / Regulation Court case etc) के अनुवर्ती (Compliant) रहेगा।

14. किसी भी न्यायालय के ऐसे कोई आदेश न हो जो प्रश्नाधीन खनि रियायत ग्रांट को प्रभावित करते हो।

15. निष्पादित अनुबंध की प्रति इस विभाग को प्रेषित की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जे0पी0 श्रीवास्तव)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग
भोपाल, दिनाँक - 26.5.16

पृ.क. एफ 3-25/2013/12/2

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला - बालाघाट, म0प्र0।
2. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, म0प्र0, भोपाल।
3. कन्ट्रोलर जनरल इंडियन ब्यूरों ऑफ माइन्स, इन्द्रा भवन, सिविल लाइंस, नागपुर, (महाराष्ट्र)।

4. महा निदेशक, खान सुरक्षा, महानिदेशालय, पो0 धनबाद, जिला-धनबाद, झारखण्ड, पिन-826001
5. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर, म0प्र0।
6. मॉयल लिमिटेड, मॉयल भवन, 1ए, काटोल रोड़, नागपुर 440013.
7. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग